न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	52/2021
सरकार	बनाम	रामनिवास पुत्र चिमनाराम, जाति–जाट, निवासी– बास गोकल

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 03.08.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि रामनिवास पुत्र चिमनाराम, जाति–जाट, निवासी– बास गोकल द्वारा रोही मौजा बास गोकल की राजकीय भूमि ख. नं. 131 के कुल रकबा 15.79 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.04 है0 भूमि पर टीन शैड, बाड़ा बनाकर व बान लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने अतिक्रमण हटा लिया है। जिसकी जांच भू.अ.नि. निरीक्षक भावठड़ी से करवाई गई। मुताबिक जांच भू.अ.नि. भावठड़ी अतिक्रमी ने ख.नं. 131 गै.मु. जोहड़ में से 0.04 है0 भूमि से वर्तमान में अतिक्रमण हटा लिया है। अतः गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। चूंकि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। अतः आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी को तावान वसूली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.......07.......
वर्ष 2021-22 में रुपये...12/...कायम
राजस्व लेखाकार